कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया (म.प्र.)

≈ आदेश ≈

क्रमांक 239 / दो–11–2 / 2009 उमरिया, दिनांक 29 / 10 / 2026

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 238 / दो–11–2 / 2009 दिनांक 27.10.2026 को निरस्त करते हुए, इस स्थापना पर पदस्थ तृतीय / चतुर्थ श्रेणी शासकीय सेवकों का प्रशासकीय कार्य एवं सुविधा की दृष्टि से निम्नानुसार स्थानांतरण किया जाता है:–

क्र.	शासकीय सेवक का नाम	कहां से	कहां को	रिमार्क
1	श्री वरूणेन्द्र प्रताप सिंह, सहायक ग्रेड–2	निष्पादन लिपिक, न्यायालय चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, उमरिया	निष्पादन लिपिक, न्यायालय चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, उमरिया	रिक्त पद
2	श्री संगीत कुमार सोनी, सहायक ग्रेड–2	प्रस्तुतकार, न्यायालय चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, उमरिया	प्रस्तुतकार, न्यायालय चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, उमरिया	रिक्त पद पर
3	श्रीमती देवंती कुंजाम, सहायक ग्रेड–3	असंजित, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया	साक्ष्य लेखक, न्यायालय चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, उमरिया	रिक्त पद
4	श्री राकेश कुमार गुप्ता, सहायक ग्रेड–2	प्रस्तुतकार, न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, मानपुर	निष्पादन लिपिक, न्यायालय द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड उमरिया	श्री कुलदीप के स्थान पर
5	श्री डिलेश्वर सिंह भलावी, सहायक ग्रेड–3	असंजित प्रतिलिपि अनुभाग उमरिया	प्रस्तुतकार, न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, मानपुर	श्री गुप्ता के स्थान पर
6	श्री कुलदीप सिंह, सहायक ग्रेड–3	निष्पादन लिपिक, न्यायालय द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड उमरिया	आवक–जावक लिपिक, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया	रिक्त पद पर
7	श्री गौरव भारती सिंह पेन्ड्रो, सहायक ग्रेड–3	असंजित, न्यायालय द्वितीय अति. व्यवहार न्यायाधीश बिरसिंहपुर पाली	मालखाना नाजिर, मालखाना अनुभाग उमरिया	श्री विवेक के स्थान पर
8	श्री विवेक कुमार श्रीवास्तव, सहायक ग्रेड–2	मालखाना नाजिर, मालखाना अनुभाग उमरिया	सहायक अभिलेखपाल न्यायिक अभिलेखागार कुटुम्ब न्यायालय,	रिक्त पद पर
9	श्री प्रमोद कुमार पाण्डेय, रीडर ग्रेड–1	निष्पादन लिपिक, न्यायालय द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, बिरसिंहपुर पाली	असंजित, अभिलेखागार उमरिया	रिक्त पद पर

10	श्री अजय शर्मा, सहायक ग्रेड–2	प्रस्तुतकार, न्यायालय द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, बिरसिंहपुर पाली	असंजित, प्रतिलिपि अनुभाग उमरिया	श्री डिलेश्वर के स्थान पर
11	श्रीमती सोना बैगा, भृत्य	बोर्ड प्यून, न्यायालय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, बिरसिंहपुर पाली	भृत्य, नजारत अनुभाग उमरिया	–
12	श्रीमती शशि द्विवेदी, भृत्य	बोर्ड प्यून, न्यायालय द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, बिरसिंहपुर पाली	बोर्ड प्यून, न्यायालय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, बिरसिंहपुर पाली	श्रीमती सोना के स्थान पर
13	श्री विमल लड़िया, भृत्य	भृत्य, नजारत अनुभाग मानपुर	बोर्ड प्यून, न्यायालय चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, उमरिया	रिक्त पद पर
14	श्री संतोष माली, भृत्य	बोर्ड प्यून, न्यायालय प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, उमरिया	भृत्य, नजारत अनुभाग मानपुर	श्री लड़िया के स्थान पर

नोट :–

1– श्री प्रदीप कुमार, सहायक ग्रेड–3 एवं श्री वंदना कोकड़िया, स्टेनोग्राफर ग्रेड–3 आगामी आदेश तक न्यायालय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, बिरसिंहपुर पाली के निर्देशानुसार कार्य करेंगे।

2– श्री विवेक कुमार श्रीवास्तव, सहायक ग्रेड–2 कुटुम्ब न्यायालय अभिलेखागार के कार्य के साथ–साथ सामान्य स्थापना के अभिलेखागार का कार्य भी अभिलेखपाल के निर्देशानुसार करेंगे।

3– श्री प्रभात दुबे, आदेशिका लेखक, व्यवहार न्यायालय बिरसिंहपुर पाली अपने पद के साथ–साथ न्यायालय द्वितीय अति. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड बिरसिंहपुर के प्रस्तुतकार के पद का भी कार्य सम्पादित करेंगे।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(प्रियदर्शन शर्मा)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
उमरिया (म.प्र.)

पृष्ठा. क्रमांक 2174/दो–11–2/2009 उमरिया, दिनांक 29/10/2026

प्रतिलिपिः–

1. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय उमरिया
2. प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, उमरिया
3. चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, उमरिया
4. द्वितीय अति. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड बिरसिंहपुर पाली

5. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड बिरसिंहपुर पाली
6. चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, उमरिया
7. व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, मानपुर
8. प्रभारी अधिकारी, नजारत/प्रतिलिपि/अभिलेखागार, उमरिया, बिरसिंहपुर पाली/मानपुर
9. जे.एस.ए. कम्प्यूटर अनुभाग उमरिया को निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश को जिला न्यायालय उमरिया की बेवसाइड में अपलोड़ करें।

 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. संबंधित कर्मचारियों की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि नवीन पदस्थापना में तत्काल कार्यभार ग्रहण करें ।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
उमरिया (म.प्र.)